न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 28 / 2025

अनवान : –

1. सुन्दर सिंह पुत्र जय सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड स0 10 गोगामेड़ी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम

1. भंवर कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता वादी
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांक: 30/1/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 120/120 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 2/5 हिस्सा भूमि वादी व 3/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण अलग अलग काबिज है। वादी अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है। वाद भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा रोही मौजा चक 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 120/120 के प0न0 415/454 मु0न0 49 के किला न0 1–2 व 9 की 0.7590 हैक्ट, 10/1 की 0.211 हैक्ट, 10/2 की 042 हैक्ट गै0मु0 आबादी, 11–12 की 0.506 हैक्ट, 19, 20, 21, 22 की 1.012 हैक्ट कुल 2.430 हैक्ट नही 0.420 हैक्ट आबादी का वादी सुन्दर सिंह खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा चक 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 120/120 के प0न0 415/454 मु0न0 49 के किला न0 3 ता 8 की 1.5180 हैक्ट, 13 ता 18 की 1.5180 हैक्ट 23 ता 25 की 0.7590 हैक्ट कुल 3.795 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 खातेदार काश्तकार है वादी व प्रतिवादीया इसी अनुसार काबिज है वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक बाहमी बंटवारा के उक्तानुसार खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो प्रतिवादीया कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा चक 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 120/120 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 2/5 हिस्सा भूमि वादी व 3/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व मुताबिक मुताबिक बाहमी बंटवारा के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:18:16 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीया संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की वादग्रस्त भूमि का कभी भी बाहमी बंटवारा नही हुआ है वादी व प्रतिवादी स0 1 वाद भूमि को मुश्तरका ही काश्त करते आ रहे है एवं वादी अच्छी किस्म की भूमि को हड़पने के लिए बाहमी

Rahul

बंटवारा का गलत कथन कर रहा है। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने विभाजन पर ऐतराज पेश कर बहस में निवेदन किया की उक्त विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय तैयार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 को कोई सूचना व नोटिस जारी नही किया गया है। तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका पर न जाकर केवल पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है अर्थात उक्त विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 ता 21 की पालना में तैयार नही किया गया है। अत विभाजन प्रस्ताव पुन मंगवाया जावे। हमने पत्रावली एवं तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिवादी स0 1 को सूचना देने के बाद भी प्रतिवादी उपस्थित नही हुआ एवं मौका रिपोर्ट पर मौतबिरान गोविन्द सिंह व विजेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर है तथा नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव नियामनुसार विधि सम्मत है। अत प्रतिवादी का ऐतराज स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 120/120 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 2/5 हिस्सा भूमि वादी व 3/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है

1. सुन्दर सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत सा0 वार्ड स0 10 गोगामेड़ी खातेदार– **प0न0 415/454(49) के किला न0 1–2 की 0.506 हैक्ट, 9 की 0.253 हैक्ट, 10/1 की 0.211 हैक्ट, 10/2 की 0.042 हैक्ट, 11–12 की 0.506 हैक्ट, 19–20 की 0.506 हैक्ट, 21/2 की 0.015 हैक्ट रास्ता, 21/1 की 0.238 हैक्ट, 22/2 की 0.015 हैक्ट रास्ता, 22/1 की 0.238 हैक्ट, कुल 2.530 हैक्ट जिसमें से नहरी– 2.5300 हैक्ट रास्ता– 0.030 हैक्ट**
2. भंवर कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति राजपूत सा0 गोगामेड़ी खातेदार रहन एसबीआई शाखा 12 डीपीएन– **प0न0 415/454(49) के किला न0 3 ता 8 की 1.518 हैक्ट, 13 ता 18 की 1.518 हैक्ट, 23 ता 25 की 0.759 हैक्ट कुल 3.795 हैक्ट जिसमें से नहरी– 2.783 हैक्ट, बारानी – 1.012**

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 30/1/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:18:16 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 28/2025

अनवान : –

1. सुन्दर सिंह पुत्र जय सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड स0 10 गोगामेड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. भंवर कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 28 सन 2025 निर्णय दिनांक 30/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 120/120 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 2/5 हिस्सा भूमि वादी व 3/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है

1. सुन्दर सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत सा0 वार्ड स0 10 गोगामेड़ी खातेदार– **प0न0 415/454(49) के किला न0 1–2 की 0.506 हैक्ट, 9 की 0.253 हैक्ट, 10/1 की 0.211 हैक्ट, 10/2 की 0.042 हैक्ट, 11–12 की 0.506 हैक्ट, 19–20 की 0.506 हैक्ट, 21/2 की 0.015 हैक्ट रास्ता, 21/1 की 0.238 हैक्ट, 22/2 की 0.015 हैक्ट रास्ता, 22/1 की 0.238 हैक्ट, कुल 2.530 हैक्ट जिसमें से नहरी– 2.5300 हैक्ट रास्ता– 0.030 हैक्ट**
2. भंवर कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति राजपूत सा0 गोगामेड़ी खातेदार रहन एसबीआई शाखा 12 डीपीएन– **प0न0 415/454(49) के किला न0 3 ता 8 की 1.518 हैक्ट, 13 ता 18 की 1.518 हैक्ट, 23 ता 25 की 0.759 हैक्ट कुल 3.795 हैक्ट जिसमें से नहरी– 2.783 हैक्ट, बारानी – 1.012**

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 30/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर

नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava

Date: 2026.02.02 11:18:16 IST

Reason: SelfAttested